Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

जुलाई 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी 3
- पशुपालन विभाग डायल 112 की तर्ज पर 200 पशु एंबुलेंस कराएगा तैयार 4
- 'मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना' 5
- लुसान डायमंड लीग श्रृंखला में नीरज चोपड़ा ने जीता पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता का खिताब 5
- स्टार्टअप-20 गुरुग्राम शिखर सम्मेलन 7
- एचईईपी-2020 के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी मिली 7
- गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी 8
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 के संबंध में मंजूरी दी 9
- राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं की स्वीकृति 10
- हरियाणा मंत्रिमंडल ने विधुर व्यक्तियों तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने को दी मंजूरी 11
- हरियाणा सरकार ने 'नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023' को दी मंजूरी 11
- उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणालियों की निगरानी हेतु 8वीं राज्य स्तरीय बैठक आयोजित 14
- प्रदेश के विदेशी सहयोग विभाग और तंजानिया निवेश केंद्र ने साझा विकास के लिये समझौता ज्ञापन पर किये हस्ताक्षर 15
- प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर नियोजन को सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिये आवश्यक सेवा घोषित किया 16
- राज्य सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना की जारी 16
- सीसीएचएयू और तंजानिया के कृषि विश्वविद्यालय के बीच हुआ अनुबंध 16
- मुख्यमंत्री ने खरखोदा में किया दादा कुशाल सिंह और ब्रिगेडियर होशियार सिंह की प्रतिमा का अनावरण 17
- मुख्यमंत्री ने डीसीआरयूएसटी में 46 लाख की लागत से स्थापित 135 फीट ऊँचे तिरंगे का किया आरोहण 18
- एमएसएमई में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये अधिसूचना जारी 19
- राज्य के 143 खंडों में लगेंगी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण मशीनें 20
- मुख्यमंत्री ने किया 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास 21
- श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का पुनर्गठन 23
- आरसीसी पैरलल ड्रेन के रखरखाव का ज़िम्मा अब सरस्वती बोर्ड के पास होगा 23
- पूर्व आईपीएस अधिकारी राजबीर देसवाल की 22वीं पुस्तक 'जींद अंटा- स्टोरीज ऑफ सिक्सटीज' का हुआ विमोचन 23
- हरियाणा बना क्रेच पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य 24
- रोहतक में बनेगा लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर 25
- अब डिपो होल्डरों के पास होगा सुपर-फास्ट 5-जी 'पीओएस डिवाइस' 27
- प्रदेश में संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचित 27

नोट :

हरियाणा

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के पलवल ज़िले में स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी स्थापित करेगा।

प्रमुख बिंदु

- लॉजिस्टिक क्षेत्र में कुशल कामगारों की मांग को देखते हुए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस एकेडमी में हर साल लगभग 3000 युवाओं को लॉजिस्टिक हब के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इस परियोजना में टीवीएस लॉजिस्टिक कंपनी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की भागीदार होगी।
- विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू ने कहा कि यह रोज़गार का बहुत तेजी से उभरता क्षेत्र है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में ट्रेंड लोगों की कमी है। इस एकेडमी के माध्यम से लॉजिस्टिक कंपनियों के लिये बड़ी संख्या में युवाओं को ट्रेंड किया जा सकेगा।
- इस एकेडमी के माध्यम से आठवीं और दसवीं पास उन युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं। उन्हें लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इसके लिये लॉजिस्टिक सेक्टर की ज़रूरत के हिसाब से कोर्स डिजाइन किया जाएगा। इसमें लॉजिस्टिक क्रेन ऑपरेटर के जॉब रोल के साथ-साथ अन्य माल वाहक वाहनों को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी।

- लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी में ट्रेनिंग करने वाले युवाओं को टीवीएस लॉजिस्टिक्स में रोज़गार के अवसर मिलेंगे। इससे एनसीआर के ज़िलों के साथ-साथ प्रदेश के दूसरे ज़िलों के युवाओं को भी रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। सालाना लगभग दो लाख रुपए के पैकेज से यह शुरुआत होगी।
- कुलपति ने बताया कि जल्दी ही श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस कंपनी के बीच एक एमओयू होगा। इसके माध्यम से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं की प्लेसमेंट का रास्ता साफ हो जाएगा।
- इसके अलावा दूसरी लॉजिस्टिक्स कंपनियों को भी इस लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी के माध्यम से कुशल कामगार ऑपरेटर मिल पाएंगे।

नोट :

- टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के रीजनल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऋषि दीवान ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अलग-अलग स्किल जोड़ रहा है। इसी कड़ी में लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी अपने आप में एक नया अध्याय होगा। इसके माध्यम से युवा शक्ति को प्रशिक्षित करके उसकी ऊर्जा का देश हित में सदुपयोग होगा।

पशुपालन विभाग डायल 112 की तर्ज पर 200 पशु एंबुलेंस कराएगा तैयार

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2023 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने राज्य के भिवानी ज़िले के बहल में लुवास हिसार की ओर से स्थापित हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर बताया कि पशुपालन विभाग पुलिस पीसीआर की डायल 112 की तर्ज पर 200 एंबुलेंस तैयार कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिये परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, मछलीपालन, बागवानी जैसी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है ताकि किसान उनको अपनाकर समृद्ध हो सकें, इसीलिये एंबुलेंस तैयार की जा रही हैं।
- विभाग की ओर से 70 पशु चिकित्सा एंबुलेंस खरीदी गई है और 130 एंबुलेंस की खरीद की जानी है। इनके लिये एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, जिस पर कॉल करने से पशुपालक को बीमार पशु के लिये चिकित्सकीय सेवा उसके घर, द्वार पर मिलेगी।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि पशुपालन क्षेत्र में लागू योजनाओं से हरियाणा प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देशभर में दूसरे नंबर पर आ गया है। प्रदेश सरकार ने जो भी योजनाएँ लागू की है, उनमें अधिकतर योजनाएँ किसान के उत्थान और विकास से जुड़ी है।

- राज्य सरकार ने किसान को फसल बुवाई के समय खाद, बीज सहित अन्य ज़रूरतों को पूरा करवाने के अलावा किसान के उत्पाद की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों को पूरा मुआवजा देकर खेती को जोखिम रहित बनाया है।
- इस अवसर पर कृषि मंत्री ने बताया कि लोहारू क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिये जहाँ नहरों की मरम्मत व नई नहरें बनवाई गई हैं। वहीं टेल तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया गया है।
- उन्होंने बताया कि लुवास का भिवानी के बहल में बनने वाला सेंटर क्षेत्र के किसान व पशुपालकों के लिये मील का पत्थर साबित होगा। अब लोगों को पशु उपचार के लिये हिसार नहीं जाना पड़ेगा।
- पशुपालकों को इस केंद्र में पशुओं की विभिन्न बीमारियों के लिये एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सर्जरी, गायनी की पूरी सुविधा होगी। इसके अलावा, केंद्र ईटीटी (ईम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी) की तकनीक पर काम करते हुए ऐसी नस्ल के पशु तैयार करेगा। जिससे ज्यादा दूध मिलेगा और नस्ल सुधार होगी। यह प्रदेश का तीसरा ऐसा केंद्र है, जिसमें ये सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

नोट :

'मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना'

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के गुरुग्राम ज़िले में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने की छठी वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित जीएसटी डे-2023 कार्यक्रम में बताया कि करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा समेत देश के पाँच राज्यों में 'मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना' शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदारी के वक्त बिल लेना होगा और वह बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके बाद कॉर्प्स फंड से ड्रा ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को 30 करोड़ के इनाम दिये जाएंगे।
- 'मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना' से उपभोक्ताओं में सामान की खरीदारी करते समय विक्रेता से बिल माँगने की प्रवृत्ति विकसित होगी। साथ ही, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट के बीच एक मज़बूत भावना भी विकसित होगी।
- यह योजना देश की कर प्रणाली को सरल बनाने तथा इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने में एक बेहतरीन व्यवस्था साबित हुई है।
- इससे नागरिकों पर कर का बोझ कम हुआ और सरल व्यवस्था से इंडस्ट्री जगत की सुविधाएँ भी बढ़ी हैं। आने वाले दिनों में अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ता की मदद से इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा।

लुसान डायमंड लीग श्रृंखला में नीरज चोपड़ा ने जीता पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता का खिताब

चर्चा में क्यों ?

30 जून, 2023 को हरियाणा के पानीपत ज़िले के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग श्रृंखला के लुसान चरण-2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उन्होंने 87.66 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया।

प्रमुख बिंदु

- जर्मनी के जूलियन वीबर 87.03 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर तथा तीसरे स्थान पर 86.13 मीटर थ्रो के साथ चेक गणराज्य के याकूब वादलेज्चे रहे।
- विदित है कि भारतीय जेवलिन स्टार नीरज का इस साल में यह दूसरा गोल्ड है। वे दोहा डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। वहीं, नीरज का यह 8वाँ इंटरनेशनल गोल्ड है। इससे पहले उन्होंने एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ओलिंपिक गेम्स और डायमंड लीग जैसे टूर्नामेंट में सोना जीता था।
- नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड में फाउल के साथ शुरुआत की। वहीं, जर्मनी के जूलियन वेबर ने 86.20 मीटर थ्रो के साथ बढ़त बनाई। पहले दौर के अंत में, नीरज शीर्ष तीन एथलीटों में भी नहीं थे। इसके बाद दूसरे प्रयास में, नीरज ने 83.52 मीटर का थ्रो किया और वह तीसरे नंबर पर पहुँच गए। तीसरे प्रयास में नीरज ने 85.02 मीटर का स्कोर किया। इस थ्रो के साथ वह दूसरे नंबर पर पहुँच गए।
- चौथे प्रयास में नीरज फाउल हो गए थे, लेकिन पाँचवें प्रयास में नीरज की 'गोल्डन आर्म' ने अपना जादू चलाया और 87.66 मीटर का थ्रो हासिल किया। पहले स्थान पर पहुँच गए। छठे और अंतिम प्रयास में, नीरज ने 84.15 मीटर का थ्रो हासिल किया।
- उल्लेखनीय है कि 25 वर्षीय नीरज ने 5 मई को दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर भाला फैंककर स्वर्ण जीता था। उसके बाद उनकी माँसपेशियों में खिंचाव आ गया, जिसके चलते उन्हें 4 जून को हुए फैनी ब्लैंकर्स कोएन गेम्स और 13 जून को हुए पावो नूरमी गेम्स से नाम वापस लेना पड़ा।
- हालाँकि इस दौरान उन्होंने किसी डायमंड लीग में खेलने का मौका नहीं खोया। लीग के रबत, रोम, पेरिस और ओस्लो चरण में जेवेलिन थ्रो शामिल नहीं है।
- लुसान के बाद मोनाको (21 जुलाई) और ज्यूरिख (31 अगस्त) में लीग होनी हैं, जहाँ जेवेलिन थ्रो शामिल है। लीग का फाइनल यूजीन (अमेरिका) में 16, 17 सितंबर को होगा।

नोट :

- नीरज हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भी हिस्सा लेंगे। यह चैंपियनशिप 19 से 27 अगस्त तक होगी। नीरज ने 2022 यूजीन में हुए पिछले सीजन में रजत पदक जीता था।
- भारतीय टीम इस चैंपियनशिप के इतिहास में केवल दो पदक जीत सकी है, उनमें से एक नीरज के नाम है। नीरज से पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने महिलाओं के लॉन्ग जंप प्रतियोगित में भारत के लिये पहला मेडल जीतकर इतिहास रचा था। उन्होंने कांस्य पदक जीता था।
- नीरज के अलावा एक अन्य भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने भी डायमंड लीग में हिस्सा लिया। उन्होंने शुरुआती 5 कोशिशों में 7.75, 7.63, 7.88 और 7.59 और 7.66 मीटर की छलांग लगाई। हालांकि, वह कोई पदक नहीं जीत सके। मुरली पाँचवें स्थान पर रहे।

नोट :

स्टार्टअप-20 गुरुग्राम शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को भारत जी-20 की अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप-20 गुरुग्राम शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने 3 जुलाई को गुरुग्राम में जी-20 के स्टार्टअप-20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया था।
- इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन ने नवोन्मेषणों, सहयोगों, ज्ञान साझा करने और वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर रणनीतिक गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिये एक मंच का काम किया।
- समापन समारोह के दौरान, स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉ. चिंतन वैष्णव ने आधिकारिक रूप से ब्राज़ील को मशाल सौंपी क्योंकि ब्राज़ील को अगले वर्ष जी20 की अध्यक्षता करनी है और उसने 2024 में स्टार्टअप 20 पहल को जारी रखने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- स्टार्टअप 20 के महत्त्व को रेखांकित करते हुए, प्रिंस फहद बिन मंसूर के प्रतिनिधित्व में सऊदी अरब 2030 तक स्टार्टअप इकोसिस्टम में 1 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष की महत्त्वाकांक्षी राशि आवंटित करने की स्टार्टअप 20 की अपील की अभिपुष्टि और समर्थन करने वाले पहले देश के रूप में उभरा।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में गुरुग्राम में मार्च माह के पहले सप्ताह में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में बेहतरीन मेजबानी करते हुए विदेशी प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया था।

एचईईपी-2020 के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी मिली

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंड़ीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम और रोज़गार नीति (एचईईपी)-2020 के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राज्य के विभिन्न औद्योगिक संघों और निर्यातकों ने राज्य सरकार से सभी एमएसएमई के लिये योजना को संशोधित करने और निर्यातकों को प्रेरित करने के लिये ब्लॉक-वाइज कैपिंग की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।
- नए संशोधनों के अनुसार, वैश्विक बाज़ार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये अन्य गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों सहित इकाई के परिसर से बंदरगाह/एयर कार्गो/अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक परिवहन लागत की अदायगी के लिये माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- विनिर्माण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सडक मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोडकर, फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत की सीमा तक माल ढुलाई सहायता, जो भी कम हो, जेडईडी प्रमाणन के स्तर के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।
- थ्रस्ट सेक्टर (एचईईपी के तहत अधिसूचित) के लिये, 'सी'और 'डी'श्रेणी ब्लॉक में स्थित थ्रस्ट सेक्टर में लगे निर्माता निर्यातक को अधिकतम 25 लाख रुपए और थ्रस्ट सेक्टर 'ए' और 'बी'श्रेणी के ब्लॉक में लगे निर्माता निर्यातक को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी।
- अन्य सभी पात्र निर्माता निर्यातक इकाइयों (नॉन-थ्रस्ट सेक्टर) के लिये, 'सी'और 'डी' श्रेणी ब्लॉक में स्थित निर्माता निर्यातक को अधिकतम 20 लाख रुपए तथा 'ए'और 'बी' श्रेणी ब्लॉक में स्थित निर्माता निर्यातक को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी।

नोट :

- नई संशोधन नीति में विनिर्माण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु जेडईडी गोल्ड सर्टिफाइड इकाइयों के लिये शत-प्रतिशत सब्सिडी, जेडईडी सिल्वर सर्टिफाइड इकाइयों के लिये 75 प्रतिशत और जेडईडी काँस्य सर्टिफाइड इकाइयों के लिये फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत में से सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, 33 प्रतिशत सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी।
- संशोधन के अनुसार, सभी पात्र इकाइयों के आवेदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर विभाग के वेब पोर्टल पर जमा करवाए जाएंगे और 10 लाख रुपए से अधिक की माल ढुलाई सब्सिडी की मंजूरी देने के लिये महानिदेशक/निदेशक, एमएसएमई सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- मंत्रिमंडल द्वारा योजना की शुरुआत और लागू होने की प्रभावी तिथि में बदलाव के साथ एजेंडे को स्वीकृति दी गई।
- योजना की लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2023 होगी जिसका अर्थ है कि वास्तविक निर्यात 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद किया जाना चाहिये, यह उठान के बिल के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- ध्यातव्य हो कि यह नीति राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 5 लाख नौकरियाँ पैदा करने के उद्देश्य से अधिसूचित की गई थी।
- हरियाणा उद्यम और रोज़गार नीति (एचईईपी), 2020, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, संतुलित क्षेत्रीय विकास, निर्यात, नवाचार और उद्यमिता और मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने के लिये राज्य के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये पाँच स्तंभों की पहचान करती है।

गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में अरावली सफारी पार्क के संबंध में हुई समीक्षा बैठक करने के उपरांत बताया कि राज्य के गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि को जंगल सफारी पार्क के लिये चिह्नित किया गया है। जंगल सफारी पार्क को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा और पहले चरण को पूरा करने के लिये लगभग 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इसके बनने के बाद एक ओर जहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। वहीं, दूसरी ओर गुरुग्राम व नूंह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य में जैव विविधता पार्क अवधारणा के अनुरूप एक सफारी पार्क विकसित करने की परिकल्पना को पूरा करने के लिये अरावली सफारी पार्क परियोजना के विकास हेतु डिजाइन परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिये 2 चरण की निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है।
- इस प्रक्रिया में ऐसी सुविधाओं के डिजाइन व संचालन में अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाली दो कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। जल्द ही पीएमसी का चयन कर लिया जाएगा।
- इस जंगल सफारी में सभी प्रकार के जानवर तथा पक्षियों की प्रजातियों को लाने का प्रयास किया जाएगा। वन्यजीवों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा यहाँ की जलवायु से सामंजस्य स्थापित कर सकने वाले विदेशी जानवरों के लाये जाने पर भी अध्ययन किया जा रहा है।
- इस प्रकार के जंगल सफारी पार्क विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित कर बचाने के भी केंद्र होते हैं तथा ऐसी प्रजातियों को सफारी पार्क में संरक्षित रखा जाएगा।
- बैठक में हिसार ज़िले में राखीगढ़ी में म्यूजियम बनाने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें राखीगढ़ी की पुरानी सभ्यता को सुरक्षित रखना व उस स्थल को विकसित करने इत्यादि विषयों को लेकर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) के साथ मिलकर हरियाणा सरकार काम कर रही है।

नोट :

मंत्रिमंडल ने हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 के संबंध में मंजूरी दी

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 के संबंध में मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा में 'डिस्ट्रिक्ट फेसिलिटेशन काउंसिल'की संरचना आदि को शामिल करने के लिये मसौदा नियम 'हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023' तैयार किये गए हैं।
- हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 की मुख्य बातें स्पष्ट करती हैं कि 'परिषद'का अर्थ उन मामलों से निपटने के लिये अधिनियम की धारा 20 के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद है जहाँ मूल राशि 20 लाख रुपए से अधिक है।
- डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एडीसी चेयरपर्सन होंगे, जबकि जस्टिस विभाग के प्रशासन से एक अधिकारी (जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से कम रैंक का न हो) तथा डीसी ऑफिस से एक अधिकारी (जो अकाउंट ऑफिसर रैंक से कम न हो) सदस्य होंगे।

- इसी प्रकार, नॉन-ऑफिसियल सदस्य के तौर पर माइक्रो और स्माल इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) एवं सदस्य-सचिव के तौर पर एमएसएमई की ज़िला इकाई के अधिकारी (जो असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक से कम न हो) को नियुक्त किया जायेगा।
- काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिये बनाए गए आधिकारिक वेब पोर्टल पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित अपने कामकाज से संबंधित बुनियादी जानकारी अपलोड करेगी।
- काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा भी मामला हो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिये राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव को अधिनियम में परिभाषित तरीके और समय-समय पर आवश्यक रूप में जानकारी प्रदान करेगी।

नोट :

राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में वर्ष 2023-24 की विभिन्न योजनाओं के लिये 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इनमें कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग, चौ. चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड, सैंट्रल सॉयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीच्यूट करनाल, भारतीय गेहूँ एवं बाजरा रिसर्च संस्थान करनाल की विभिन्न योजनाएँ शामिल है।
- बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उचानी के बायोपेस्टीसाईड लेबोरेटरी को सुदृढ़ और नया नेचुरल फार्मिंग पेस्टीसाइड प्रोडक्शन यूनिट विकसित किया जाएगा।
- इसके अलावा एडवांस सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं वर्मी कंपोस्ट प्रदर्शन युनिट लगाई जाएगी।
- भारतीय गेहूँ एवं बाजरा रिसर्च संस्थान द्वारा छोटे एवं मध्यम दर्जे के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिये गेहूँ आधारित एग्री प्रेन्यूरशिप सेंटर स्थापित किया जाएगा तथा नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- कृषि विभाग द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, मिट्टी का निष्पादन एवं जल संरक्षण क्रियान्वयन को लेकर भी बेहतर कार्य किया जाएगा।
- मुख्य सचिव ने बताया कि सीएसएसआरआई करनाल द्वारा किसानों के खेतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गाँवों में भूजल को रिचार्ज करने के लिये बेहतर ढाँचा तैयार किया जाएगा। साथ ही, लवणीय भूमि पर किसानों को खजूर की खेती करने के लिये स्थायी प्रोडक्शन सिस्टम भी विकसित किये जाएंगें।
- उन्होंने बताया कि कृषि वैज्ञानिक कम लागत और कम पानी की कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम वैरायटी विकसित कर किसानों से शेयर करें ताकि किसान उनका लाभ उठाकर आर्थिक रूप से सशक्त एवं मजबूत बन सके।
- बागवानी विभाग द्वारा किसानों को बागवानी की ओर अग्रसर करने के लिये 7 स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें भूना में अमरूद, घरौंडा में सब्जी, सीएसटीएफ लाडवा, पीटीसी शरमगढ़, आईएचडीसी सुनद्रह, होडल तथा पिनंगवा प्रशिक्षण एवं सुविधा केंद्र शामिल हैं।
- राज्य में सफल आर्गेनिक किसान फार्म एवं बागवानी फार्मों की शॉर्ट वीडियो फिल्म बनाकर किसानों से साझा करें ताकि अन्य किसान उनसे प्रोत्साहित होकर नवीनतम बागवानी एवं कृषि फसलों की ओर अग्रसर हो सकें।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों के लिये समुदाय आधारित जल संवहन प्रणाली, स्प्रे प्रशिक्षण, डिजिटल लेब की क्षमता बढ़ाने और मजबूत करने पर कार्य किया जाएगा।
- इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना, हर बूंद का उपयोग और अधिक फसल तथा किसानों के लिये कस्टम हायरिंग, हाईटेक, हाई प्रोडेक्टिव इक्विपमेंट मुहैया कराने पर विशेष बल दिया जाएगा।
- साथ ही, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीडस एण्ड सर्टिफाईड सीड्स, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन पर विस्तार से कार्य किया जाएगा।
- बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के डीपीआर बेस्ड प्रोजेक्ट, वार्षिक कार्य योजना, सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, एग्रो फोरेस्ट्री, पीएमडीसी, एसएमएएम, सीआरएम योजनाओं की वार्षिक कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

नोट :

हरियाणा मंत्रिमंडल ने विधुर व्यक्तियों तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधुर व्यक्तियों तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

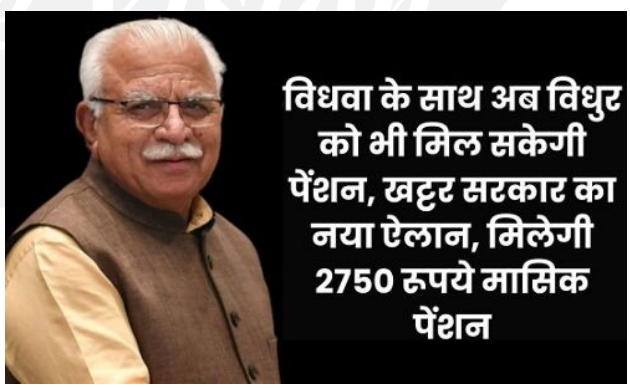

- यह योजना 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी। इसके तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को भी 2750 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है।
- इसके अलावा, वे विधुर जिनकी आयु 40 वर्ष हो गई है तथा उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी, वे भी 2750 रुपए मासिक की वित्तीय सहायता लेने के पात्र होंगे।
- इस योजना के तहत वित्तीय सहायता 60 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। उसके बाद पात्र व्यक्तियों को 'वृद्धावस्था सम्मान भत्ता'प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने 'नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023' को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के गुरुग्राम ज़िले की मानेसर तहसील के कासन, कुकरोला और सेहरावां गाँवों की राजस्व संपदा में मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के लिये 'नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023' को मंजूरी प्रदान की गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस नीति का उद्देश्य विकास को तेजी से आगे बढ़ाना और भूमि मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उचित लाभ मिले।
- जो भूमि मालिक नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 के तहत विकल्प नहीं चुनते हैं, वे भूमि मालिकों के लिये पुनर्वास और पुनर्स्थापन और भूमि अधिग्रहण विस्थापित नीति (आर एंड आर) के तहत लाभ के लिये पात्र होंगे।
- विदित है कि राज्य सरकार ने मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के विकास के उद्देश्य से 10 जनवरी, 2011 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत ज़िला गुरुग्राम की मानेसर तहसील के गाँवों कासन, कुकरोला और सेहरावाँ में लगभग 1810 एकड़ जमीन को अधिसूचित किया था।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2011 के आदेश के तहत उपर्युक्त अधिग्रहण कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायालय द्वारा दिया गया स्टे 2 दिसंबर, 2019 को हटा दिया गया और उसके बाद उक्त भूमि को 17 अगस्त, 2020 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत अधिसूचित किया गया और बाद में 8 अगस्त, 2022 को अवार्ड की घोषणा की गई थी।
- ज्ञातव्य है कि 9 अगस्त, 2022 को हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि विस्थापित भूमि मालिकों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये, इस अधिग्रहण की कार्यवाही के लिये पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2010 को संशोधित किया जाएगा।
- इसी के अनुसरण में अब उन भूस्वामियों के पुनर्वास के लिये एक विशिष्ट नीति तैयार की गई है, जिनकी भूमि 16 अगस्त, 2022 के अवार्ड संख्या 1, 2 और 3 के तहत क्रमश: कासन, कुकरोला और सेहरावां गाँवों के लिये 1758 एकड़ क्षेत्रफल के लिये अधिग्रहित की गई।
- इस नीति का लाभ उन भूमि मालिकों के लिये लागू होगा, जिनकी भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के लिये 10 जनवरी, 2011 को अधिसूचित किया गया था, जिनके भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 9 के तहत अवार्ड संख्या 1, 2 और 3 दिनांक 16 अगस्त, 2022 के माध्यम से क्रमश: कासन, कुकरोला और सेहरावां गाँवों के लिये मुआवजा घोषित किया गया था।
- नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023 समानुपातिक आधार पर एक एकड़ भूमि के बदले 1000 वर्गमीटर विकसित भूमि/भूखंड की पात्रता की अनुमति देती है।
- किसानों/भूमि मालिकों को इसकी अधिसूचना और पोर्टल के लॉन्च से 6 महीने की अवधि के भीतर योजना का विकल्प चुनने का अधिकार होगा।
- भूमि मालिकों को तत्काल लाभ सुनिश्चित करने के लिये, एचएसआईआईडीसी योजना के बंद होने से 3 महीने की अवधि के भीतर भूमि मालिकों के आवंटन हिस्से के आधार पर आवासीय या औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने का आश्वासन देते हुए भूमि पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।
- भूमि मालिकों या भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को भूमि पात्रता प्रमाण पत्र का व्यापार करने, खरीदने या बेचने की स्वतंत्रता होगी। इसका तात्पर्य यह है कि भूमि मालिक खुले बाज़ार में प्रमाणपत्र का मुद्रीकरण कर सकता है या एचएसआईआईडीसी को वापस बेच सकता है।
- इस प्रमाणपत्र को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में स्थानांतरित या गिरवी रखा जा सकता है। आवंटित की जाने वाली साइट के संबंध में बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ उपलब्ध होने के बाद भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को पोजेशन के साथ एचएसआईआईडीसी द्वारा विकसित भूखंडों की पेशकश की जाएगी।
- विकसित आवासीय भूखंडों या औद्योगिक भूखंडों जैसा भी मामला हो, के लिये पात्र भूमि मालिकों को एचएसआईआईडीसी द्वारा पहले फ्लोटेशन के समय निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर आवंटन मूल्य पर भूखंड की पेशकश की जाएगी।
- एचएसआईआईडीसी द्वारा ऑफर किये जाने वाले प्लॉट का आकार मानक आकार का होगा, यानी विकसित आवासीय उपयोग के लिये 100 वर्गमीटर और 150 वर्गमीटर के प्लॉट तथा विकसित औद्योगिक उपयोग के लिये 450 वर्गमीटर का प्लॉट।

नोट :

- ऐसे मामले में आवासीय भूखंडों का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा, जहाँ अपरिहार्य कारणों से स्व-कब्ज़े वाले आवासीय का अधिग्रहण किया गया था।
- इस श्रेणी के तहत, सरकार द्वारा अधिग्रहित स्व-कब्जे वाली आवासीय संरचना/घरों के मालिक, जो 10 जनवरी, 2011 को अधिसूचित भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना पर या उससे पहले अस्तित्व में थे, उन्हें प्रस्तावित आवंटन हिस्सेदारी के अलावा अतिरिक्त आवासीय भूखंड के आवंटन का आश्वासन दिया जाएगा।
- भूमि मालिक 33 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किये जा रहे वार्षिकी भुगतान का लाभ उठाने का भी हकदार होगा।
- वार्षिकी भुगतान (एन्युटी पेमेंट) 33 वर्ष की अवधि के लिये 21,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगा। इस वार्षिकी राशि में हर साल 750 रुपए की एक निश्चित राशि से वृद्धि की जाएगी।
- नीति को अधिक स्वीकार्य बनाने और लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 की तर्ज पर भूमि मालिक/भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारक एचएसआईआईडीसी से वैध भूमि पात्रता प्रमाण पत्र वापस खरीदने का अनुरोध कर सकते हैं।
- इसके अलावा नीति को और अधिक स्वीकार्य बनाने और लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 की तर्ज पर किसानों को लाभान्वित करने के लिये भूमि मालिक/भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारक एचएसआईआईडीसी से भूमि पात्रता प्रमाण पत्र को 35,400 रुपए प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर वापस खरीदने का अनुरोध कर सकते हैं, यदि वह वार्षिकी भुगतान प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाता है।
- यदि भूमि मालिक/भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारक वार्षिकी भुगतान प्रोत्साहन का लाभ उठाता है तो बाय बैक का मूल्य 35,100 रुपए प्रति वर्गमीटर होगा।

नोट :

उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणालियों की निगरानी हेतु 8वीं राज्य स्तरीय बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणालियों की निगरानी के लिये 8वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार विभागों में निर्माण कार्यों में खरीद के लिये मानकीकरण सेल स्थापित करेगी जिससे निगरानी के साथ कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
- यह सेल मानकीकरण गतिविधियों के संबंध में राज्य सरकार, उद्योगों और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।
- राज्य में विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणालियों की प्रभावी निगरानी के लिये राज्य एवं ज़िला स्तर पर प्रशिक्षण कैंप लगाए जाएंगें।
- मानकीकरण प्रणालियों के लिये राज्य में उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा को नोडल विभाग बनाया गया है।
- मुख्य सचिव ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार के विभागों द्वारा बीआईएस प्रमाणित उत्पादों एवं सेवाओं की खरीद पर बल देते हुए कहा कि ब्यूरो की यह सराहनीय पहल है। इसलिये लोगों को आईएसआई मार्का गुणवतायुक्त उत्पाद एवं सामग्री ही खरीदनी चाहिये।
- आईएसआई मार्का की जानकारी के लिये ब्यूरो के 'बीआईएस केयर एप' पर लाईसेंस संबंधी जाँच की जा सकती है तथा राज्य में मजबूत गुणवत्ता वाला इको सिस्टम बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार की गतिविधियाँ आवश्यक हैं।
- बैठक में मानक निर्माण को बढ़ावा देने, अनुरूपता मूल्यांकन और उपभोक्ता आउटरीच पर राज्य सरकार के अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर भी चर्चा हुई।
- बैठक में राज्य में मानकीकरण प्रणालियों के निर्माण के संबंध में सरकार, उद्योग और बीआईएस के बीच संचार चैनल के रूप में कार्य करने के बारे विस्तार से चर्चा की गई।
- इसके अलावा बीआईएस की पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिये मानकों का कार्यान्वयन, रेडी मिक्स कंक्रीट प्रक्रिया प्रमाणन, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना, हॉल मार्किंग, दूध और दूध उत्पादों के लिये अनुरूपता मूल्यांकन योजना, केंद्र सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन की रणनीति जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे विस्तार से अवगत कराया गया।
- बैठक में भारतीय मानक ब्यूरो के उप-महानिदेशक राजीव पी. ने बीआईएस के उद्देश्यों से अवगत करवाते हुए एजेंडे पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

नोट :

प्रदेश के विदेशी सहयोग विभाग और तंजानिया निवेश केंद्र ने साझा विकास के लिये समझौता ज्ञापन पर किये हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2023 को पूर्वी अफ्रीका के डार.एस.सलेम, तंजानिया के टीआईसी कार्यालय में आयोजित एमओयू हस्ताक्षर समारोह में हरियाणा सरकार के विदेशी सहयोग विभाग (एफसीडी) और तंजानिया निवेश केंद्र (टीआईसी) ने साझा विकास के लिये एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा से विदेश सहयोग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू और टीआईसी से कार्यकारी निदेशक गिलियड टेरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- इस कार्यक्रम में तंजानिया में भारत के उप उच्चायुक्त मौजूद रहे। इसके अलावा, हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों के 50 से अधिक व्यापार प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
- इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य दोनों इकाइयों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना और निवेश के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच स्थायी आर्थिक वृद्धि और विकास हो सके।
- हरियाणा के विदेशी सहयोग विभाग और तंजानिया निवेश केंद्र के बीच हुआ समझौता ज्ञापन सहयोग के लिये एक व्यापक ढाँचे की रूपरेखा तैयार करता है, जिससे अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान, उपकरण, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण और अनुसंधान, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा क्षमता निर्माण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना एफसीडी और टीआईसी दोनों की आर्थिक विविधीकरण, रोज़गार सृजन और सतत् विकास को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- ये अपनी विशेषज्ञता, संसाधनों और नेटवर्क के संयोजन से दोनों संगठन विदेशी निवेशकों के लिये एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देंगे व आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे और आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करेंगे।

नोट :

प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर नियोजन को सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिये आवश्यक सेवा घोषित किया

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सामुदायिक प्रदायों अथवा सेवाओं को बनाए रखने के लिये हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति, 2022 के अधीन आने वाले और यथा स्थापित डेटा सेंटरों के अधीन नियोजन (एम्प्लॉयमेंट) को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है।
- अधिसूचना में बताया गया कि हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का 40) की धारा 3 के खंड (ii) के अधीन प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 के अधीन आने वाले और यथा स्थापित डेटा सेंटरों के अधीन आने वाले नियोजनों (एम्प्लॉयमेंट) पर लागू होगा।

राज्य सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना की जारी

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी के रूप में अब सरपंचों को 5 हज़ार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए मानदेय मिलेगा।
- विदित है कि वर्तमान में राज्य में सरपंचों और पंचों को क्रमश: 3,000 रुपए और पंचों को 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। सरपंचों व पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया।
- सरपंचों व पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु सरकार ने 'हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम-1995' में संशोधन किया है।
- ये नियम अब 'हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा-परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम-2023' कहे जाएंगे।

सीसीएचएयू और तंजानिया के कृषि विश्वविद्यालय के बीच हुआ अनुबंध

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2023 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएचएयू) के एक प्रवक्ता ने बताया कि सीसीएचएयू और पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया के मोरोगोरो स्थित सोकोइन कृषि विश्वविद्यालय के बीच कृषि में अनुसंधानों व नवाचारों को बढ़ावा देने के लिये एक अनुबंध हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- सीसीएचएयू व कृषि महाविद्यालय और तंजानिया के सोकोइन कृषि विश्वविद्यालय की ओर से वहाँ के कुलपति प्रो. रापहियल.टी. चिबूंडा ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।
- इस एमओयू के अनुसार सीसीएचएयू के वैज्ञानिक, शोधार्थी व विद्यार्थी मिलकर नवीन अनुसंधानों की सहायता से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे।

नोट :

- सीसीएचएयू की उन्नत कृषि तकनीकों व नवाचारों का तंजानिया के किसानों को भी लाभ मिलेगा। एचएयू की प्रौद्योगिकी से तंजानिया के किसान कृषि उत्पादन बढ़ाकर व नए स्टार्टअप तैयार कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकेंगे।
- सीसीएचएयू के वैज्ञानिक कृषि की व्यवसायिक व नई तकनीकों के संबंध में प्रशिक्षण देंगे, जिससे कि तंजानिया और भारत में कृषि इंजीनियरिंग में संकाय का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कृषि विस्तार गतिविधियों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- दोनों विश्वविद्यालय सेमिनार, सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे और एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।
- विदित है कि इस समय तंजानिया के शहर दार-ए-सालाम में 47वाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशन में हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल तंजानिया में व्यापार एवं शिक्षा के अवसर तलाशने व उन्हें बढ़ावा देने के लिये दौरे पर है।
- 50 सदस्यीय इस प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा सरकार के उच्चाधिकारी, व्यापारी एवं चार विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं अधिकारीगण शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने खरखोदा में किया दादा कुशाल सिंह और ब्रिगेडियर होशियार सिंह की प्रतिमा का अनावरण

चर्चा में क्यों ?

16 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सोनीपत ज़िले के खरखोदा उपमंडल में दादा कुशाल सिंह और ब्रिगेडियर होशियार सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों इस इलाके की महान शख्सियत हैं और दोनों की विशेषता इनका देश के प्रति और धर्म के प्रति निष्ठावान रहना है। इनकी गुरु भक्ति और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।

नोट :

- विदित है कि वर्ष 1675 में जब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के खिलाफ बिगुल फूँका तो दादा कुशाल सिंह ने धर्म निभाकर अपने शीश का बलिदान दिया था।
- इसी तरह, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, जिन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान 'परमवीर चक्र' से नवाज़ा गया है, उन्होंने वर्ष 1965 और 1971 की लड़ाइयों में भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्रिगेडियर होशियार सिंह ने युद्ध विराम होते हुए भी पीछे हटने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज देश की सेना में हर दसवाँ व्यक्ति हरियाणा से है जो कि प्रदेश के युवाओं की देशभक्ति के प्रति लगन का ही परिणाम है। प्रदेश में 17 लाख ऐसे परिवार हैं जो पूर्व सैनिकों से संबंध रखते हैं।
- पूर्व सैनिकों के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए प्रदेश सरकार ने 1971 की लड़ाई के बाद जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गईं उन सभी में हुए शहीदों के परिवारों में से पिछले 8 सालों में 367 लोगों को नौकरियाँ प्रदान की गई है।
- शहीदों के परिवार को अनुग्रह राशि के तौर पर 50 लाख, आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर उनके परिवार को 50 लाख, किसी भी युद्ध में घायल, शहीद के दिव्यांग के अलग-अलग पैमाने पर 15 लाख, 25 लाख और 35 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाती है।
- इनके अलावा, द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए परिवारों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन भी उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने डीसीआरयूएसटी में 46 लाख की लागत से स्थापित 135 फीट ऊँचे तिरंगे का किया आरोहण

चर्चा में क्यों ?

16 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 46 लाख रुपए की लागत से राज्य के सोनीपत ज़िले के मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी) में स्थापित 135 फीट ऊँचे तिरंगे का आरोहण किया।

प्रमुख बिंदु

- साथ ही, मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल अकादमी एवं आईडिया लैब का भी लोकार्पण किया।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि डीसीआरयूएसटी में सबसे ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है, जो एक गौरव एवं प्रेरणादायी परियोजना है। यहाँ से गुज़रते वक्त हाईवे से भी यह ध्वज राष्ट्रीयता के संदेश को प्रसारित करता हुआ दिखाई देगा। इस पर लाईट की विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे यह दिन-रात 24 घंटे चमकता रहेगा। नये नियम के तहत इसे रात्रि के समय उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अन्य परियोजनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि विज्ञान एवं वास्तुकला को समर्पित अटल अकादमी एवं आईडिया लैब से शोध को बढ़ावा मिलेगा। डीसीआरयूएसटी के नाम में ही विज्ञान शामिल है, जो विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है।
- इस परियोजना में एआईसीटीई का विशेष रूप से सहयोग मिला है। आईडिया लैब की स्थापना से नए-नए विचारों को विकसित कर विज्ञान के माध्यम से जीवनशैली में उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी।

एमएसएमई में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

17 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने वैश्विक स्तर पर भविष्य में बढ़ रही ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिये हरित ऊर्जा व अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता के मद्देनज़र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना के अनुसार राज्य नवीकरणीय ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई उद्योग को नवीकरणीय ऊर्जा के जिन स्रोतों को अपनाना होगा, इनमें औद्योगिक अनुप्रयोग आधारित नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर पीवी ऊर्जा उत्पादन, सोलर थर्मल अनुप्रयोग (सोलर हॉट वाटर जनरेटर व हॉट एयर जनरेटर), बायोमास गैसीफायरस, बायोमास प्लांट्स, बायोमास आधारित बॉयलर का अप-ग्रेडेशन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित अन्य औद्योगिक उपकरण व मशीनरी शामिल हैं।

नोट :

- राज्य सरकार की ओर से ऐसे उद्योगों को 3 वर्ष के लिये प्रतिवर्ष अधिकतम 10 लाख रुपए के सावधि ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जायेगी।
- सब्सिडी का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रोफार्मा में दस्तावेज विभाग की वेबसाइट पर वित्त वर्ष की समाप्ति से 3 महीने पहले तक अपलोड किये जा सकते हैं। ये प्रोत्साहन देने के लिये महानिदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, हरियाणा सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- अधिसूचना अनुसार यदि कोई आवेदक गलत तथ्यों के आधार पर उक्त लाभ लेता पाया जाता है तो उसे 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ प्रोत्साहन राशि रिफंड करनी होगी और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की दी जाने वाले प्रोत्साहन/सहायता ग्रांट से वंचित किया जा सकता है।
- विदित है कि हरियाणा की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2019 से 25 अप्रैल, 2024 तक के लिये अधिसूचित की गई है।

राज्य के 143 खंडों में लगेंगी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण मशीनें

चर्चा में क्यों ?

17 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिये विशेष कार्य बल की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करण मशीनें लगाने का कार्य कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- इनमें प्लास्टिक श्रेडर, बेलिंग मशीन और धूल हटाने वाली मशीनें शामिल हैं, जिन्हें लगभग 16 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत से लगाया जाएगा। इन इकाइयों से रिसाइक्लिंग की सुविधा आसान होगी और प्लास्टिक कचरे की मात्रा में भी कमी आएगी।
- इस दूरगामी पहल का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की दोहरी चुनौतियों से निपटना है।

नोट :

- बैठक में बताया गया कि 1 जुलाई, 2022 से 31 मई, 2023 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिये कार्य योजना के तहत 17,407 चालान काटे गए। राज्य भर में 15,045 किलोग्राम एकल-उपयोग प्लास्टिक ज़ब्त करके उन पर 1,46,62,750 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
- मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (बी एवं आर), शहरी स्थानीय निकाय, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज तथा राज्य विपणन बोर्ड के अधिकारियों को सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के नॉर्म अनुसार सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग अनिवार्य करने के निर्देश दिये।
- मुख्य सचिव ने वर्चुअल तरीके से उपायुक्तों और ज़िला नगर निगम आयुक्तों को प्लास्टिक प्रबंधन के लिये विशेष कार्य बल की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिये।
- इसके अलावा उन्होंने पर्यावरणीय मुद्दे के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण स्तर पर जनता को जागरूक करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये भी अधिकारियों को निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने किया 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के नूंह ज़िला के फिरोजपुर झिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं में 1270 करोड़ रुपए की लागत की 157 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 1462 करोड़ रुपए की लागत की 190 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
- मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर झिरका में नूंह ज़िला की भी 305 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को ज़िलावासियों को समर्पित किया। ज़िलों में आयोजित कार्यक्रमों में मंत्रीगण, सांसदों और विधायकों ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।
- मुख्यमंत्री ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गाँवों के लिये 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं नूंह से मुंडा का गाँव तक की सड़क के निर्माण की भी घोषणा की।
- इसके अलावा, फिरोजपुर झिरका में 80 गाँवों में पेयजल क्षमता को 55 एलपीसीडी से बढ़ाकर 70 एलसीपीडी करने की भी घोषणा की।

नोट :

- इन परियोजनाओं की 2741 करोड़ रुपए की लागत जोड़ने पर यह लगभग 15 हज़ार करोड़ हो जाती है। इस तरह डिजिटली एक ही स्थान से इतने व्यापक स्तर पर परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करना ई-गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण है, इससे समय और पैसे की भी बचत हुई है।
- उद्घाटन की गई रैनीवेल आधारित पेयजल योजना नूंह ज़िला के लिये सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के क्षेत्रवासियों को होगा।
- विदित है कि इस इलाके के लोग जब रमजान में रोज़े रखते थे और सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते थे तो उनको पानी की आवश्यकता होती है, जो उन्हें मौल खरीदकर पानी लेना पड़ता था। अब इस परियोजना से लोगों को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा।

नोट :

श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को हरियाणा के राज्यपाल ने श्री माता मनसा देवी श्राइन एक्ट 1991 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का पुनर्गठन किया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
- बोर्ड के सदस्यों में मुख्य सचिव व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव होंगे। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, पंचकूला के उपायुक्त और मुख्य प्रशासक सदस्य सचिव होंगे।
- इसी प्रकार गैर-सरकारी सदस्यों में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, लतिका शर्मा, बंतो कटारिया, पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल, पंचकुला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरुण ग्रोवर और हरि चंद गुप्ता हैं।
- सहयोगी सदस्यों में विशाल सेठ और ईश्वर जिंदल को शामिल किया गया है।

आरसीसी पैरलल ड्रेन के रखरखाव का ज़िम्मा अब सरस्वती बोर्ड के पास होगा

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो हरियाणा सरस्वती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ने कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के साथ-साथ तैयार की गई 'आरसीसी पैरलल ड्रेन'(RCC Parallel Drain) के रखरखाव का जिम्मा अब हरियाणा सरस्वती बोर्ड को देने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि अब तक इसकी ज़िम्मेवारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास थी।
- सरस्वती बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने बताया कि यह ड्रेन खेडी-मारकंडा से लेकर कुरुक्षेत्र शहर के मध्य से होते हुए नरकातारी एसटीपी तक चलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 18 किमी है तथा इसकी क्षमता 70-80 क्यूसिक पानी की है।
- उन्होंने बताया कि वे इस ड्रेन के रखरखाव के लिये पिछले एक वर्ष से प्रयासरत थे। इस ड्रेन के अधिकार बोर्ड के पास आने से बरसात के दिनों में बाढ़ के पानी की इस ड्रेन के माध्यम से भी निकासी की जा सकती है। ड्रेन को ऊपर से भी कवर किया जाएगा।

पूर्व आईपीएस अधिकारी राजबीर देसवाल की 22वीं पुस्तक 'जींद अंटा- स्टोरीज ऑफ सिक्सटीज' का हुआ विमोचन

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2023 हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी ने पुलिस ऑफिसर्स मेस, मोगीनंद, पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में राजबीर देसवाल, आईपीएस (सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) द्वारा लिखित 'जींद अंटा-स्टोरीज ऑफ सिक्सटीज'नामक पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि गत कुछ वर्षों में राजबीर देसवाल द्वारा लिखी गई यह उनकी 22वीं पुस्तक है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने 'जींद अंटा-स्टोरीज ऑफ सिक्सटीज'पुस्तक को महत्त्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जींद शहर के इतिहास का पता चलता है। यह पुस्तक पाठकों को 'जींद- एक शहर जो चैन की नींद सोता है'से भी अवगत कराएगी।

नोट :

- एक पूर्व पुलिसकर्मी, लेखक, गायक, संगीतकार, फोटोग्राफर और वकील की भूमिका में राजबीर देसवाल एक विरल उत्साह के बहुप्रतिभावान व्यक्ति हैं। पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एक अन्य पुस्तक 'टी बैग्स'पर भी कार्य कर रहे हैं।
- वर्तमान पुस्तक 'जींद-अंटा: स्टोरीज ऑफ सिक्सटीज'लेखक के गाँव और छोटे से शहर जींद में बिताए बचपन की एक पुरानी याद है। हालाँकि यह एक छोटा सा जैव आत्मकथात्मक रेखाचित्र है, यह दस्तावेज़ प्रचलित सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक, परिवेश या बीते समय की विचारधारा के बारे में अधिक बात करता है।
- यह पुस्तक प्रथाओं, परंपराओं, रीति-रिवाजों, पहनावे की शैलियों, मनोरंजन और एक साधारण जीवनशैली के अन्य पहलुओं का दस्तावेजीकरण करती है, जिन्हें सरल और सामान्य माना जाता है।
- इसके दो भाग हैं: पहला भाग अंटा नामक गाँव में व्याप्त वातावरण से संबंधित है और दूसरा भाग डेविड कॉपरफील्ड जैसे एक बड़े होते लड़के के अनुभवों से संबंधित है, जो उस मुफस्सिल शहर में हर किसी को पसंदीदा लगता था।
- टैग लाइनों में जींद के मुफस्सिल शहर का वर्णन किया गया है- 'एक ऐसा शहर जो चैन की नींद सोता था'और टैगलाइन - 'चंद्रमा कभी-कभी यहाँ विश्राम करता है', जो गाँव अंटा के ग्रामीण इलाकों में प्राचीन और जंगली परिवेश का वर्णन करती है।
- यह राजबीर देसवाल की 22वीं किताब है, जिसमें तीन भाषाओं- हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में कविता पर आठ किताबें शामिल हैं। राजबीर देसवाल की कहानियाँ पाठकों द्वारा बहुत बार पढ़ी जाती हैं और वह भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं।

हरियाणा बना क्रेच पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने हरियाणा राज्य क्रेच नीति-2022 की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे राज्य की कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा। इसके साथ ही हरियाणा क्रेच पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने क्रेच नीति को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई है, जिसके तहत छह माह से छह साल तक के बच्चे को क्रेच में आठ से दस घंटे तक रखा जा सकेगा।
- क्रेच में कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मी लगाये जाएंगे। इसमें क्रेच वर्कर को 15 हज़ार रुपए और सहायिका को साढ़े सात हजार रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा।
- विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा के अनुसार राज्य में 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों को क्रेच खोलना अनिवार्य होगा।
- क्रेच में बच्चों के खेलने के सामान और खिलौने के साथ ही पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जाँच और टीकाकरण, सोने की व्यवस्था, शिक्षा तथा शारीरिक और सामाजिक-भावनात्मक विकास के लिये तमाम इंतज़ाम होंगे।
- विदित है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही 500 क्रेच खोलने के निर्देश जारी कर चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 16 ज़िलों में 165 क्रेच चालू किये जा चुके हैं। इन्हें नई पॉलिसी के तहत अपग्रेड किया जाएगा।
- महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधुनिक सुविधा युक्त क्रेच स्थापित करने हेतु मोबाइल क्रेच ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है। ये क्रेच माह में 26 दिन खुलेंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिये अभिभावकों और स्टाफ के पहचान-पत्र भी बनाए जाएंगे।
- क्रेच में किसी बच्चे को अकेला नहीं रहने दिया जाएगा। क्रेच में बच्चे को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम को स्नैक्स भी दिया जाएगा तथा इसका खर्च सरकार वहन करेगी। सफाई-स्वच्छता हेतु हर माह एक हज़ार रुपए दिये जाएंगे। क्रेच में बच्चों के सोने और फीडिंग रूम की भी व्यवस्था होगी।

नोट :

- क्रेच नीति में कामकाजी महिलाओं के कार्यालय से अधिकतम दूरी 500 मीटर निर्धारित की गई है।
- क्रेच के लिये जिस परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है, उन्हें प्रत्येक बच्चे के लिये 50 रुपए, एक लाख से 1.80 लाख पर 100 रुपए, 1.80 लाख से तीन लाख रुपए पर 250 रुपए, तीन से पाँच लाख वार्षिक आय पर 350 रुपए तथा पाँच लाख से अधिक की आय पर 500 रुपए हर माह देने होंगे।

रोहतक में बनेगा लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को हरियाणा के एक सरकारी प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में अब लीवर और किडनी से संबंधित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिये मरीजों को जल्द ही रोहतक ज़िले में स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (पीजीआईएमएस) में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार निरंतर प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में पीजीआईएमएस, रोहतक में ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित करने के साथ-साथ मैनपावर को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
- इस सेंटर के लिये 3 लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन, 2 रेनल ट्रांसप्लांट सर्जन और 2 नेफ्रोलॉजिस्ट के पदों की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

नोट :

PT. B.D. SHARMA P.G.I.M.S., ROHTAK
पं० बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक
ACCIDENT & EMERGENCY SERVICES
आपातकालीन सेवायें

DHANWANTRI APEX TRAUMA CENTER
रोहतक पीजीआई में बनेगा लीवर और
किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर

नोट :

अब डिपो होल्डरों के पास होगा सुपर-फास्ट 5-जी 'पीओएस डिवाइस'

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी डिपो-होल्डरों को 5-जी 'पीओएस डिवाइस'उपलब्ध करवाएगी ताकि गरीब लोगों को राशन वितरण का कार्य जल्द संपन्न हो सके।

प्रमुख बिंदु

- इस डिवाइस की सहायता से लोग माइक्रो-एटीएम की भाँति डिपो-होल्डर के पास पैसों को भी बैंक खाते में जमा करवा सकेंगे और निकलवा सकेंगे।
- उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिये कि हरहित स्टोर और राशन डिपो को संयुक्त बनाने के मॉडल की संभावनाओं का भी पता लगाएँ। इससे डिपो होल्डर चाय पत्ती, नमक जैसा अन्य सामान भी रख लें तो उनकी आमदनी में इज़ाफा हो सकता है।
- उपमुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, इसी को देखते हुए सुपर-फास्ट स्पीड के लिये सभी डिपो होल्डरों को 5-जी 'पीओएस डिवाइस'दिया जाएगा, ताकि वह जल्दी-जल्दी अपना काम निपटा सकें और दुकान पर भीड़ भी नहीं लगेगी।
- इसी डिवाइस को माइक्रो-एटीएम का रूप दिया जाएगा, ताकि बायोमेट्रिक से लोग अपने पैसे खुद के बैंक खाते में जमा भी करवा सकेंगे और नकदी भी निकलवा पाने में सक्षम होंगे। इससे उन लोगों को खास फायदा होगा, जिन गांवों में बैंक या एटीएम की सुविधा नहीं है।

प्रदेश में संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचित

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (एचईईपी)- 2020' के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन कर राज्य में स्थित सभी एमएसएमई की निर्यातक इकाइयों के लिये संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचित की है।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना अनुसार वैश्विक बाज़ार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यात को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये अन्य गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों सहित इकाई के परिसर से बंदरगाह/एयर कार्गो/ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक परिवहन लागत की अदायगी के लिये माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- विनिर्माण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत की सीमा तक माल ढुलाई सहायता, जो भी कम हो, जेडईडी प्रमाणन के स्तर के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।
- थ्रस्ट सेक्टर (एचईईपी के तहत अधिसूचित) के लिये, 'सी'और 'डी'श्रेणी ब्लॉक में स्थित थ्रस्ट सेक्टर में लगे निर्माता निर्यातक को अधिकतम 25 लाख रुपए और थ्रस्ट सेक्टर 'ए'और 'बी' श्रेणी के ब्लॉक में लगे निर्माता निर्यातक को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी।
- अन्य सभी पात्र निर्माता निर्यातक इकाइयों (नॉन-थ्रस्ट सेक्टर) के लिये, 'सी'और 'डी'श्रेणी ब्लॉक में स्थित निर्माता निर्यातक को अधिकतम 20 लाख रुपए तथा 'ए'और 'बी'श्रेणी ब्लॉक में स्थित निर्माता निर्यातक को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी।
- नई संशोधन नीति में विनिर्माण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु जेडईडी गोल्ड सर्टिफाइड इकाइयों के लिये शत प्रतिशत सब्सिडी, जेडईडी सिल्वर सर्टिफाइड इकाइयों के लिये 75 प्रतिशत और जेडईडी कांस्य सर्टिफाइड इकाइयों के लिये फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत में से सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, 33 प्रतिशत सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी।

नोट :

- संशोधन के अनुसार, सभी पात्र इकाइयों के आवेदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर विभाग के वेब पोर्टल पर जमा करवाए जाएंगे और 10 लाख रुपए से अधिक की माल ढुलाई सब्सिडी की मंजूरी देने के लिये महानिदेशक/निदेशक, एमएसएमई सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- सेवा प्रदान समयावधि इस प्रकार होगी- 45 कार्य दिवसों में पत्र का अनुमोदन किया जाए तथा सात दिनों में ही पत्र स्वीकृत किये जाएंगे और सात दिनों में ही वितरित किये जाएंगे।
- योजना की लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2023 है, जिसका अर्थ है कि वास्तविक निर्यात 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद किया जाना चाहिये, यह उठान के बिल के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- सब्सिडी का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रोफार्मा में दस्तावेज़ विभाग की वेबसाइट पर वित्त वर्ष की समाप्ति से 6 महीने पहले तक अपलोड किये जा सकते हैं।
- ये प्रोत्साहन देने के लिये महानिदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, हरियाणा सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- अधिसूचना अनुसार यदि कोई आवेदक गलत तथ्यों के आधार पर उक्त लाभ लेता पाया जाता है तो उससे 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ प्रोत्साहन राशि रिफंड करनी होगी और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की दी जाने वाले प्रोत्साहन/सहायता ग्रांट से वंचित किया जा सकता है।

नोट :